रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 1995/श्रावण 2, 1917
No. 318] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1995/SRAVANA 2, 1917

IndiaCode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के अधीन लिखित रूप में शिकायत करने के लिए बाल कल्याण और विकास तथा बाल पोषाहार में लगे निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठन को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

ब्रैस्टफीडिंग प्रमोशन नैटवर्क ऑफ इंडिया (बी पी एन आई)
बी पी-33, पीतमपुरा, दिल्ली-34

और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 540(अ), तारीख 27 जून, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

4. ब्रैस्टफीडिंग प्रमोशन नैटवर्क ऑफ इंडिया (बी पी एन आई) बी पी-33 पीतमपुरा, दिल्ली-34।"

[फा. सं. 12-9/94 एन टी]
बी. सैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women and Child Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1995

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 21 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby authorises the following voluntary organisation engaged in the field of child welfare and development and child nutrition to make a complaint in writing under the said section, namely :—

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI),
BP-33, Pitampura, Delhi-34.

and for the said purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women and Child Development) G.S.R. 540(E), dated the 27th June, 1994, namely :—

In the said notification, after serial No. 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely :—

"4. Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI), BP-33, Pitampura, Delhi-34."

[F. No. 12-9/94-NT]
B. SEN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995